उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड शासन

वृत्त का नाम :- *7 वां वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर*

खण्ड का नाम :- *प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग*

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कार्य का नाम जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षेत्रफल :--

वन पंचायत भूमि	—	0.180 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	—	0.120 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	—	0.000 हेक्टेयर
नाप भूमि	—	0.000 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	—	0.300 हेक्टेयर
वांछित क्षेत्रफल	—	0.300 हेक्टेयर

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की

स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने

के प्रपत्र / प्रमाण पत्र

विषय सूची

क्र.	प्रपत्र	पृ0सं0
1	आवरण पृष्ठ	
2	विषय सूची	2
3	फैक्ट सीट	3-5
4	प्रतिवेदन	6
5	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का शासनादेश	7-11
6	भारत सरकार के प्रपत्र	12-17
7	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट व प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	18-21
8	प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल	22
9	प्रभावित वृक्षों के पातन की सूची एवं वृक्षों की मूल्य सूची	23-24
10	बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र	25
11	राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र	26
12	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र	27-28
13	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं योजना (पंचवर्षीय)	29-34
14	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र, काय्र योजना एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र	35-39
15	परियोजना का बार चार्ट	40
16	रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण प्रमाण–पत्र	41
17	प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र	42
18	प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र	43
19	आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र	44-45
20	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई प्रमाण–पत्र	46
21	वैकल्पिक समरेखणों के निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र	47
22	परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र	48
23	भू–वैज्ञानिक की आख्या	49-53
24	भू–वैज्ञानिक / जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र	~~54-55~~
25	टास्क फोर्स की संस्तुतियों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र	55
26	वन्य जीव / वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र	56
27	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र	57
28	धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र	58
29	लभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र	59
30	दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र	60
31	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र	61
32	वन भूमि के मूल्य का प्रमाण–पत्र	62
33	एन0पी0वी0 जमा कराये जाने एवं मूल्य वृद्धि का प्रमाण–पत्र	63-65
34	लागत लाभ विशलेषण प्रमाण–पत्र	65A-65C
35	प्रस्तावित स्थल विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र	66
36	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना	67-74
37	मानक शर्ते मान्य होने का प्रमाण–पत्र	75
38	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रांकलन एवं देय धनराशि का प्रमाण–पत्र	76
39	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र	77
40	जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान	78
41	प्रस्तावित परियोजना का लेआऊट प्लान एवं मदवार विवरण	79-79A
42	पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण–पत्र	80
43	राष्ट्रीय पार्क / वन्य अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र	81
44	रसोई गैस / कैरोसिन आपूर्ति का प्रमाण पत्र	82
45	परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनायें	83
46	विस्फोटकों के उपयोग का प्रमाण पत्र	84

फैक्ट शीट

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

1. प्रभावित भूमि की वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है0 में)

वन पंचायत भूमि	–	0.180 है0
सिविल सोयम वन भूमि	–	0.125 है0
आरक्षित वन भूमि	–	0.000 है0
निजी भूमि		0.000 है0
योग		0.300 है0

2. प्रस्तावक विभाग का नाम लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग
3. वन प्रभाग का नाम रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।
4. प्रस्ताव बाइडिंग किया गया है हॉ / नही
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है हॉ / नहीं
6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1, 2, 3 के सभी बिन्दुओ की सूचना भरी गयी है हॉ / नहीं
7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भर गया है हॉ / नही
8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दशार्या गया है हॉ / नही
9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / प्रमाण पत्र संलग्न है हॉ / नही
10. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है हॉ / नही
11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है हॉ / नही
12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षो की सूची संलग्न है हॉ / नहीं
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है हॉ / नही
14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजनामय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है हॉ / नही
15. क्या मानचित्र मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है हॉ / नही
16. प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर / आर पार रिक्त पडे स्थानो की वृक्षारोपण योजना संलग्न है हॉ / नही
17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हॉ / नहीं

18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है हाँ / नहीं

यदि हा तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालका का प्रामण पत्र संलग्न है हाँ / नहीं

19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है हाँ / नहीं

20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की प्रति संलग्न करें) हाँ / नही

21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की वन भूमि को अलग अलग रंगों से भरा गया है हाँ / नहीं

22. यदि सडक का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है हाँ / नही

23. क्या प्रस्तावित योजना में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 उल्लंघन हुआ है हाँ / नहीं

24. यदि उल्लघन हुआ तो पूर्व स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सलग्न किया जाय हाँ / नही

25. सडक निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं हाँ / नही

26. वैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का कारण अधिक वृक्ष आने के कारण एवं ग्रामवासियों की असहमति

27. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है हाँ / नही (5 हैक्टेयर से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

28. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है हाँ / नहीं

29. मलवे के निस्तारण की योजनामय मानचित्र सहित संलग्न करे हाँ / नही

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है हाँ / नही

30. राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है हाँ / नहीं

31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतिया मूल में संलग्न है यदि छाया प्रतिया संलग्न की गयी है तो क्या वे सत्यापित है हाँ / नही

32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है हाँ / नहीं

33. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है हाँ / नही

34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है हाँ / नही

35. ग्राम सभा व अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है हाँ / नहीं

36 एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 व 9.05.2008 के अनुसार) – हाँ / नहीं

37 क्षतिपूरक वृक्षारोपण की पांच वर्षीय सजरा सीट पटवारी के खसरा खतौनी सहित संलग्न है हाँ / नहीं

38. क्षतिपूरक वृक्षारोपण सिविल क्षेत्र में ही किया जायेगा, का प्रमाण पत्र संलग्न है हाँ / नहीं

39 प्रभावित क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण का हिस्सा नहीं है तथा प्रस्ताव पार्क से राष्ट्रीय पार्क / वन्य अभ्यारण की दूरी का-प्रमाण पत्र संलग्न है हाँ / नहीं

40 1 : 50,000 के मानचित्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में अक्षांश व देशान्तर रेखायें दर्शायी गयी हैं – हाँ / नहीं

41 1 : 50,000 पैमाने के मानचित्र पर वैकल्पिक रामरेखण दर्शाया गया है हाँ / नहीं

42 परियोजना निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान रसोई गैस / मिट्टी का तेल की आपूर्ति की जायेगी का प्रमाण पत्र संलग्न है हाँ / नहीं

43. प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गई है

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत "अलकनन्दा" नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

इस मार्ग की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शा0स0 764 / 11 (2) / 08–85(प्रा0आ0) / 2007 दिनांक 24.03.2008 के द्वारा 95 मीटर विस्तार हेतु लागत रू0 197.70 लाख की प्राप्त हुई हैं। दिल्ली–माणा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के किमी0 378 से 500 मीटर आगे से यह झूला पुल अलकनन्दा नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रस्तावित झूला पुल से निरवाली, धारकोट, चोपडा, क्वीली एवं कुरझण आदि के नजदीकी गांवों को पैदल यातायात व दिल्ली–माणा राष्ट्रीय राज मार्ग स0 58 से जिला मुख्यालय को जोडते हुए सीधा जुड जायगा, जिससे क्षेत्रीय जनता का समय व मित्तव्ययता की दृष्टि से काफी फायदा पहुंचेगा व सीधे ही इस क्षेत्र का त्वरित विकास होगा। इस पुल की स्वीकृत विस्तार 95 मीटर है परन्तु स्थल पर इस पुल का विस्तार 85 मीटर आता है। अतः 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के लिए यह स्थान उपयुक्त एव उपयोगी विकल्प है। इस स्थल पर स्थानीय जनता का कोई विवाद नहीं है। इस पुल के बन जाने से लगभग 1000 की जनसंख्या लाभान्वित होगी पुल निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र में स्थित अति दूरस्थ गांवों को आवागमन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा स्थानीय उत्पाद जैसे आलू, माल्टा, राजमा आदि को बाजार तक लाने में सुविधा होगी।

अतः इस पुल की वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर लोक निर्माण विभाग विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत है।

1. वन पचायत भूमि	–	0.180 है0
2. सिविल सोयम वन भूमि		0.120 है0
3. आरक्षित वन भूमि	–	0.000 है0
4. निजी नाप भूमि		0.000 है0
कुल		0.300 है0
कुल वांछित क्षेत्रफल		0.300 है0

उक्त झूला पुल के निर्माण के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली वन भूमि का निरीक्षण भू–वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। आख्या प्रस्ताव में संलग्न है। प्रस्ताव के अन्य वांछित प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। अतः लोक निर्माण विभाग को 0.300 है0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

सहायक अभियन्ता
[illegible] लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परिशिष्ठ

(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना योजना के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग में अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली -- धारकोट में झूला पुल के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं का दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	स्वीकृत लागत = रू0 197.70 लाख मात्र।
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	प्रस्तावित पुल द्वारा वन क्षेत्र होते हुए ही सम्बन्धित गांव को जोडने हेतु एक मात्र विकल्प है।
ड) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	0.01 लाख मानव दिवस।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	0.180 हैक्टेयर वन पचायत भूमि। 0.120 हैक्टेयर सिविल वन भूमि। 0.000 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि 0.000 हैक्टेयर निजी / नाप भूमि..
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है	
क) परिवारों की संख्या	-- शून्य
ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	-- शून्य
ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	-- शून्य

4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नहीं)	नहीं
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुन वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता सलग्न की जाय)	सलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार सलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक.............

स्थान –रूद्रप्रयाग

(ई० इन्द्रजीत बोस)
अधीशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि०वि०
रूद्रप्रयाग

प्रस्ताव की कम सख्या.............

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग– II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.........

परियोजना / स्कीम का स्थान		जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग मे अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली–धारकोट में झूला पुल के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव
i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	रूद्रप्रयाग।
iii)	वन प्रभाग	रूद्रप्रयाग
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)	0.300 है0
v)	वन की कानूनी स्थिति	0.120 है0 सिविल सायम भूमि 0.180 है0 ~~आरक्षित वन भूमि~~ प.भूमि
vi)	हरियाली का घनत्व	~~0.004~~ 10%.
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध मे एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	सूची में संलग्न है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	1.00 किमी0
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	नहीं
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हॉ / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र मे स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।
8–	प्रयोक्ता एजन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांच गएं विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार सरतुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित मार्ग हेतु दा संरेखण उपलब्ध है।
9–	क्या अधिनियम के उल्लघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ / नही) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी –	लागू नही

अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

10--	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः-	
i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	संलग्न
ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	संलग्न है।
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	संलग्न
11--	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12--	प्रभाग / जिला प्रोफाइल	वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।
i.	जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	1984 वर्ग किमी0
ii.	जिला का वन क्षेत्र।	1790.995 वर्ग किमी0
iii.	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	137 केस 549.993 hec.
iv.	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	616.26 hec. 26.12 R.K.
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	X
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	616.26 hec 26.12 R.K.
v	.... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
(क)	वन भूमि पर	
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	616.26 hec. 26.12 R.K.
13--	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रकरण ~~रूद्रप्रयाग वन प्रभाग~~ विकास कार्यो से सम्बन्धित है। अतः जनहित में सिफारिश की जाती है।

दिनांक 11.3.2014

स्थान- रूद्रप्रयाग

हस्ताक्षर

नाम (किशन चन्द)

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

सरकारी मोहर

भाग– III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हां / नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों का, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिश।

हस्ताक्षर

तिथि

नाम और पदनाम

स्थान

सरकारी मोहर

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– [illegible] के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने [illegible] वन विभाग की [illegible] और किसी [illegible] सिफारिश। [illegible] प्रतिकूल [illegible] की सुस्पष्ट [illegible] की जाए [illegible]

हस्ताक्षर

तिथि

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

राज्य सरकार की सिफारिश
(उपयुक्त भाग–II या भाग–III या
भाग–IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर

तिथि

नाम और पदनाम

स्थान

सरकारी मोहर

ifj:kstuk dk uke % जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण--पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 18.07.2010 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री रणजीत सिंह कण्डारी वन [illegible] लाल [illegible] राजस्व विभाग की ओर से श्री .... [illegible] विभाग की ओर से श्री ओम प्रकाश चन्द्रा कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री मदन सिंह बुटोला कार्य अधिकर्ता [illegible] द्वारा निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 है0, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.120 है0 वन पंचायत भूमि 0.[illegible] है0 [illegible] भूमि 0.000 है0 [illegible] होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि [illegible] नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

[illegible] वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है। ([illegible] कोई विवरण नहीं दिया जाना है)

[illegible] समरेखण एक मात्र विकल्प है। इस समरेखण पर प्रभावित [illegible] वन भूमि, वृक्षों [illegible] तथा इस समरेखण पर कोई विवाद नहीं है।

[illegible] रूद्रप्रयाग

[illegible] रूद्रप्रयाग

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
[illegible]

[illegible]
रूद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

Raghav
जिला अधिकारी
[illegible]

(14)

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी रुद्रप्रयाग रेंज
पत्रांक 99/12 दि० 30 जुलाय 2010

सेवामे
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

विषय।- जनपद रुद्रप्रयाग मे राज्य योजना के अन्तर्गत निरवाली - घारकोट के समीप अलकनन्दा नदी पर 95 मीटर स्पान के झूला पुल निर्माण के सम्बंध मे.

सन्दर्भ- आपका पत्र सं० 104/12-1(2) दि० 16-7-2010

महोदय
उपरोक्त विषय के क्रम मे निवेदन है कि दि० 18-7-2010 को श्री रणजीत सिंह कण्डारी वनदरोगा द्वारा लो०नि०वि० के प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश नेगी कनिष्ठ अभियंता के साथ प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया, झूला-पुल नव-निर्माण स्थल ग्राम निरवाली के समीप अलकनन्दा नदी के बायीं ओर शिवानन्दी-तोड़ का वन-पंचायत क्षेत्र पड़ता है, जहा पर झूला पुल नव निर्माण होना है, वहा पर कोई वृक्ष नही है, उपरोक्त क्षेत्र वृक्षों-विहीन है।
अतः सूचना सेवामे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

[signature]

Photo Copy Attested

[signature]
सहायक अभियन्ता
प्रा०खं०लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी - अगस्त्यमुनि रेंज,

पत्रांक सं० - 46 / 12-1 (2) दिनांक 26-7-2010

सेवा में,

श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

विषय.— संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ;

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर खांकरा के पास निरवाली - धारकोट में झूलापुल 85 मीटर स्पान नव निर्माण हेतु लो० नि० वि० रुद्रप्रयाग के कर्मचारियों के साथ अनुभाग अधिकारी श्री शिवराज लाल भारती अगस्त्यमुनि पश्चिमी अनुभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, अनुभाग अधिकारी द्वारा अपनी संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट में मानक प्रकार अधिकारी ... 0-10 से०मी० व्यास की झाड़ियाँ हैं, तथा क्षेत्र सिविल बेनाप भूमि है, एवं वृक्ष विहीन है,

अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट महोदय की सेवा में प्रेषित,

मार्क किया
कृ० आ० कार्यवाही
[signature]

भवदीय -
[signature]
वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज

T. C. Attuled
[signature]

SITE INSPACTION NOTE BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from **Executive Engineer Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (for diversion under FCA-1980) of **0.300 ha.** of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of **Nirwali – Dharkot Suspension Bridge over Alaknanda River** The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 13-02-2014

On inspection of the site. it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring **0.300 ha.**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part-I is unavoidable and is base minimum required for the project. No

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If. so the details there of. :-

Whether any protecterd archeological/heritage site/defense establishment or any other important monoments is located in the area. if. so the details there of with NOC from competent authority. if required :- No

a) The user agency has not violated the provisions of forest. (Conservation). Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation). Act 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1. Para C of Handbook of forest (Conservation) Act. 1980 is attached. No

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Place ...Rudraprayag...
Date ...11-3-2014.......

Name ....(Kishan Chand).......
Designation.......D.F.O.......
Office Seal. प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable

As per letter number 2-2 2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests. Government of India for proposal involving less then 40 hactares of forest land. the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hactares of forest and site inspection report from the conservation of forests is required.

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लैन्ड शेड्यूल
(वन विभाग)

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लाक	लम्बाई	चौडाई	क्षेत्रफल (हे0)
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	.... मी0	...... मीटर	0.000 (आरक्षित वन भूमि)

वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

लैन्ड शेड्यूल

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं0	कुल रकबा	याचित क्षे. फ. (हे0)	टिप्पणी
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	438	0.412	0.120	सिविल सोयम
रूद्रप्रयाग	तदैव	तदैव	—"—	—"—	0.180	वन पचायत
रूद्रप्रयाग	तदैव	तदैव	—"—	—"—	0.000	नाप भूमि

पटवारी   तहसीलदार रुद्रप्रयाग   उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग   जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग

Photo copy Attested

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

वन संरक्षक वृत्त, उत्तराखण्ड पौडी के स्थाई आदेश सं0 1663/9–4/23–2 दिनांक 31.03.2008 द्वारा प्रचलित वृक्षों की अनसूचित दरों पर वृक्षों का मूल्यांकन।

मार्ग पर पड़ने वाले बाधक वृक्षों की मूल्य गणना सूची

क्र0सं0	प्रजाति का नाम	व्यास	संख्या	दर	धनराशि रूपये
1	2	3	4	5	6
1	←	Nil			→

वनक्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग रेंज

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग

संख्या— दिनांकः , 200.

वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम — जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाड़ी धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मार्ग निर्माण हेतु 0.300 हे0 वन पचायत एवं सिविल भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई–

क्र सं	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			00-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0		0

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग रेंज
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

बाज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।मि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक ....को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रजातिवार वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क्र0 सं0	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	अगस्त्य मुनि		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

प्रस्तावित परियोजना से कोई भी बाज का वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त पौड़ी

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अधीन निर्मित होने वाले जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग में अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली–धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नही है।

वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग रेन्ज

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का प्रमाण–पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु वन भूमि की लम्बाई ....—....... मीटर चौड़ाई ... मीटर 3000 वर्ग मीटर अर्थात 0.300 है0 है।

[illegible] अभियन्ता
[illegible] खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण--पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु दो समरेखण पर विचार किया गया। समरखण संख्या 1 स्थायित्व भू--गर्भीय एवं कम पेड आने व स्थानीय जनता के सहमत होने के कारण उचित पाया गया। जो कि प्रस्तावित है तथा संरेखण न0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है पर वन भूमि अधिक आने, पेडो की अधिकता व ग्राम वासियों की असहमति के कारण निरस्त किया गया। इस हेतु अस्वीकृत किया गया।

[illegible] अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत अलकनन्दा नदी पर ग्राम निरवाली धारकोट में 85 मीटर विस्तार के झूला पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।मि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग
रूद्रप्रयाग रेन्ज

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग